रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112022-240585 CG-DL-E-25112022-240585

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 757] No. 757] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2022/अग्रहायण 4, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2022/AGRAHAYANA 4, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2022

सं. 61/2022-सीमाश्ल्क

सा.का.िन. 848(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए, कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

क्र.संख्या	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन				
(1)	(2)	(3)				
1.	अधिसूचना संख्या 73/2005-सीमा शुल्क,	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 134 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्च निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः-				
	दिनांक 22 जुलाई, 2005, जिसे सा.का.नि. 498(अ), दिनांक 22 जुलाई, 2005	"134क 8524 11 00 या सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्श 8524 12 00 या मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ 8524 19 00 हो"।				

7864 GI/2022 (1)

	के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	
2.	अधिसूचना संख्या 151/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 जिसे सा.का.नि. 942(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 68 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः- "68क 8524 11 00 या सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट पैनल प्रदर्शन 8524 12 00 या मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न 8524 19 00 हो"।
3.	अधिसूचना संख्या 46/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 01 जून, 2011 जिसे सा.का.नि. 423(अ), दिनांक 01 जून, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1382 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः- "1382क 8524 11 सेल्यूलर मोबाइल फोनों के 0.0 0.0"। 00 या 8524 फ्लैट पैनल प्रदर्शन 12 00 या मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर 8524 19 या नियंत्रण परिपथ न हो
4.	प्रधान अधिसूचना संख्या 53/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 01 जुलाई, 2011 जिसे सा.का.नि. संख्या 499(अ), दिनांक 01 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1423 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः- "1423क 8524 11 00 या सेल्यूलर मोबाइल फोनों के फ्लैट 0.0"। 8524 12 00 या पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें 8524 19 00 ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो
5.	प्रधान अधिसूचना संख्या 69/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जुलाई, 2011 जिसे सा.का.नि. 593(अ), दिनांक 29 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 680 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः- 680क 8524 11 00 या 8524 सेल्यूलर मोबाइल फोनों के 0.0"। 12 00 या 8524 19 00 फ्लैट पैनल प्रदर्शन मॉड्यूल्स जिनमें ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ न हो

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/39/2022-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी] विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

नोट:-

1. प्रधान अधिसूचना संख्या 73/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2005, को सा.का.नि. 498(अ), दिनांक 22 जुलाई, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022 जिसे सा.का.नि. 326(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

- 2. प्रधान अधिसूचना संख्या 151/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को सा.का.नि. 942(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 जिसे सा.का.नि. 917(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था. के द्वारा संशोधन किया गया है।
- 3. प्रधान अधिसूचना संख्या 46/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 01 जून, 2011 को सा.का.िन. 423(अ), दिनांक 01 जून, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022 जिसे सा.का.िन. 326(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था. के द्वारा संशोधन किया गया है।
- 4. प्रधान अधिसूचना संख्या 53/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 01 जुलाई, 2011 को सा.का.िन. संख्या 499(अ), दिनांक 01 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022 जिसे सा.का.िन. 326(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
- 5. प्रधान अधिसूचना संख्या 69/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जुलाई, 2011 को सा.का.िन. 593(अ), दिनांक 29 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2022-सीमाशुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2022 जिसे सा.का.िन. 326(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2022

No. 61/2022-Customs

G.S.R. 848(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the following notifications of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

TABLE

Sl. No.	Notification number and Date	Amendments				
(1)	(2)			(3)		
1.	Notification No. 73/2005 -Customs, dated the 22 nd July, 2005, published in the Official	In the said notification, in the Table, after serial number 134 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -				
	Gazette, <i>vide</i> , G.S.R. 498(E), dated the 22 nd July, 2005.	"134A	8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00	Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones".		
2.	Notification No. 151/2009 -Customs, dated the 31 st December, 2009, published	In the said notification, in the Table, after serial number 68 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -				
	in the Official Gazette, <i>vide</i> , G.S.R. 942(E), dated the 31 st December, 2009	"68A	8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00	Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones".		

3.	Notification No. 46/2011 -Customs, dated the 1 st June, 2011, published in the Official	In the said notification, in the Table, after serial number 1382 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -				
	Gazette, <i>vide</i> , G.S.R. 423 (E), dated the 1 st June, 2011.	"1382A	8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00	Flat Panel Display 0.0 Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones	0.0".	
4.	Notification No. 53/2011 -Customs, dated the 1 st July, 2011, published in the Official	In the said notification, in the Table, after serial number 1423 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -				
	Gazette, vide, G.S.R. 499(E), dated the 1 st July, 2011.	"1423A	8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00	Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones	0.0".	
5.	Notification No. 69/2011 -Customs, dated the 29 th July, 2011, published in the Official	In the said notification, in the Table, after serial number 680 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -				
	Gazette, vide, G.S.R. 593(E), dated the 29 th July, 2011.	"680A	8524 11 00 or 8524 12 00 or 8524 19 00	Flat Panel Display Modules without driver or control circuit for cellular mobile phones	0.0".	

[F. No. CBIC-190341/39/2022-TRU Section-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note:

- 1. The principal notification No.73/2005-Customs, dated the 22nd July, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 498(E), dated the 22nd July, 2005 and was last amended by notification No. 23/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 326(E), dated the 30th April, 2022.
- 2. The principal notification No. **151/2009**-Customs, dated the 31st December, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 942(E), dated the 31st December, 2009 and was last amended by notification No. 60/2021-Customs, dated the 30th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 917(E), dated the 30th December, 2021.
- 3. The principal notification No. **46/2011**-Customs, dated the 1st June, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 423(E), dated the 1st June, 2011 and was last amended by notification No. 23/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 326(E), dated the 30th April, 2022.
- 4. The principal notification No. **53/2011**-Customs, dated the 1st July, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 499(E), dated the 1st July, 2011 and was last amended by notification No. 23/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 326(E), dated the 30th April, 2022.
- 5. The principal notification No. **69/2011**-Customs, dated the 29th July, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 593(E), dated the 29th July, 2011 and was last amended by notification No. 23/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 326(E), dated the 30th April, 2022.